

2018/0011

136
108
2/11/18

प्रकरण सं. 04/18
1.5.18

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहटन

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सांवले का तला की जमाबन्दी

संवत् 2072 - 75 खाता संख्या 22 में ख. नं. 816, 817 में

साठ सांवले का तला के खाता नं. 22 में ख. नं. 816, 817 में
पिछे धारी कु कुण्डा वरि कुन्दाज है जो गलत है।
पिछे नाम विरधाराम ऽ। कुण्डाराम नाम है जो
राजस्व रेकर्ड में कुन्दाज ऽ। कुमलदराम कुशे
कुधाल कार्ड, राशन कार्ड प भामाबाई कार्ड में नाम
विरधाराम ऽ। कुण्डाराम नाम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पहचान करी
① गेमराराम देवारी



दिनांक : 1/5/18

② जगन्नाथ
(अरपंचपती)



जमीन विरधाराम S10 अण्डाराम के मंजा साबले का तला के खाला सं. 22 सैवा 2072-75 में 115 गीरघारी S10 अण्डा दर्ज है जो गलत है

जमीने काधार कार्ड, राशन कार्ड, आसपास कार्ड फेशा डिपार्ट. जिसमें विरधाराम गं अण्डाराम गलत है; जो लखी है एवं मजिस्ट्रेट के भी पुछने के विरधाराम गलत बताया है, इसलिये नाम शुद्धिकरण करना उचित है।



द्वारा का

जि. 22/11/18
(विशेष अधिकारी)

गोमाराज देवासी

h. no. 01-05/18
14/11/21

जोसाम
01/05/18
पत्रावली मठ

~~शु अ विरधाराम रिपोर्ट~~
रिपोर्ट तहसीलदार कायबल तहसीलदार

धारा 177A रिपोर्ट व एलोकेशन के मुताबिक नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

12/11/18
नम्र चौहान

आदेश

तहसीलदार चौहान, IPR नारायण, धरवारी हल्का व रावरा मठ विभागीय रिपोर्ट प्राप्त तथा जमीनी कार्डों द्वारा जमा शर्तना पत्र के साथ दस्तावेजों व्याख्या सभलों के आधार पर जमीनी का शर्तना पत्र खोला कर जमीनी का नाम गिरधारी S10 अण्डा के स्थान पर शुद्ध नाम विरधाराम पुत्र अण्डाराम कुस्सन कर्ते के कठिना दिया जाते हैं। उपरोक्तानुसार तहसीलदार चौहान को वास्तविक रिकॉर्ड में कमल दरामद कर्ते का कठिना दिया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार होकर दारिखत दफ्तर हो।



12/11/18
उपखण्ड अधिकारी
चौहान